संख्या-156/2022/1629/22-2-2022-17(471)/21

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2022

विषय:-जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुशल सिंघल पुत्र श्री किशनलाल, निवासी जिला-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703 /प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कुशल सिंघल पुत्र श्री किशनलाल, मौ0 गली महल, कस्बा व थाना-शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। सूरज सैनी डिश केबल का कार्य करता था। बन्दी भी डिश केबल का कार्य करता था इसी कम्पटीशन के कारण दिनांक 25.05.2006 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1140, 1141/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-09, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 09.11.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बंदी की आयु 42 वर्ष होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई न किए जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुशल सिंघल (बन्दी संख्या-179/2016) पुत्र श्री किशनलाल, निवासी जिला-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-156/2022/1629(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in